

५/९/२५

वकील वारी उपस्थित है। वकील वारी नवीन वाद पत्र पेद्य करते के अपने अधिकार को सुरक्षित

लागाता।

५

उपखण्ड अधिकारी
(केकड़ी) भाजपा

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

रखते हुये वाद पत्र विद्वी करना चाहते हैं ।
 वकील वादी को सुना गया । वकील वादी द्वारा
 नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकार को
 सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र विद्वी किया गया
 जिसके लिए वकील वादी द्वारा पत्रावली
 आदेशिका पर टिप्पणी दर्ज की गई । ऐसी स्थिति
 पत्रावली पर वादी के लिखित टिप्पणी तथा
 माजिम निवेदन को स्वीकार कर पत्रावली
 पर वादी गणों के नवीन वाद पत्र पेश
 करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते
 हुये पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर
 समाप्त की जाती है । पत्रावली केसल शुभा
 है) नम्बर है कम होकर दायित अपर है ।

पि

उपखण्ड आधेकारी
 भिनाय (केकड़ी)